न्यायालय जिला कलक्टर, बाड़मेर
पीठासीन अधिकारी : टीना डाबी, आई0ए0एस0

राजस्व अपील सं. 34/2023

अपीलांट –

1. आदूराम पुत्र रामाराम
2. भारूराम पुत्र रामाराम
3. भीखाराम पुत्र मोटाराम
4. मगाराम पुत्र मोटाराम
5. मुलाराम पुत्र मोटाराम
6. श्रवण पुत्र मोटाराम जाति प्रजापति निवासी देवाणी भोमोणी कुम्हारो की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

बनाम

रेस्पोडेंट्स –

1. तहसीलदार गुड़ामालानी
2. बालाराम पुत्र डालूराम प्रजापत
3. झीमों पत्नी बुधाराम
4. केसी देवी पत्नी धुड़ाराम
5. हेमी पत्नी पोकराराम
6. नारणाराम पुत्र बुधाराम
7. केसाराम पुत्र बुधाराम
8. भंवराराम पुत्र बुधाराम
9. हुकमाराम दतक पुत्र धुड़ाराम
10. भानाराम पुत्र छोगाराम
11. गोरखाराम पुत्र छोगाराम
12. केसराराम पुत्र छोगाराम
13. जुगताराम पुत्र इन्दाराम
14. चुनाराम पुत्र इन्दाराम
15. बाबूराम पुत्र इन्दाराम
16. मागाराम पुत्र इन्दाराम
17. रिडमल पुत्र इन्दाराम जाति प्रजापति निवासी देवाणी भोमोणी कुम्हारो की ढाणी तहसील गुड़ामालानी जिला बाड़मेर

राजस्व अपील अन्तर्गत धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम विरूद्ध नामान्तरकरण सं. 18 दिनांक 01.05.2023 जो तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पारित किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

उपस्थिति :–
1. श्री सुनील बीएल रामावत, अधिवक्ता अपीलांट की ओर से उपस्थित।
2. श्री वीरमाराम चौधरी, रेस्पो. संख्या 2से4, 6से17 के अधिवक्ता उपस्थित।

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2024.10.16 16:24:55 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय

दिनांक : 30.09.2024

1. अपीलांट्स की ओर से यह अपील धारा 75 राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम के तहत ग्राम देवाणी भोमाणी कुम्हारो की ढाणी तहसील

जिला कलक्टर
बाड़मेर

गुड़ामालानी के नामान्तरकरण सं. 18 पर तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पारित स्वीकृति आदेश दिनांक 01.05.2023 के विरूद्ध इस न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की गई हैं।

2. प्रस्तुत अपील के संक्षिप्त तथ्य यह है कि मौजा रोली खसरा नम्बर 177/1 रकबा 18–00 बीघा भूमि आदूराम, मोटाराम, भारूराम पुत्र रामाराम जाति कुम्हार सा0 देह खातेदार के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज थी। उक्त भूमि में से 01–08 बीघा भूमि का समर्पण विलेख दिनांक 03.09.2012 को तहसीलदार गुड़ामालानी के समक्ष प्रस्तुत किया, जिस पर तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर आदेश क्रमांक 4166 दिनांक 07.09.2012 के द्वारा समर्पण स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हेतु निर्देशित किया गया। इस आदेश की पालना मे हल्का पटवारी द्वारा नामान्तरकरण सं. 18 दिनांक 19.04.2023 दायर कर तहसीलदार गुड़ामालानी के समक्ष प्रस्तुत किया तथा तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा उक्त नामान्तरकरण दिनांक 01.05.2023 को स्वीकृत कर दिया। उक्त नामान्तरकरण स्वीकृति आदेश के विरूद्ध यह प्रथम अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस न्यायालय के समक्ष दिनांक 16.08.2023 को प्रस्तुत की गई है। इसके साथ ही अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र एवं शपथ–पत्र प्रस्तुत किये गये हैं।

3. अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत अपील में मयाद पर निर्णय सुरक्षित रखते हुए दर्ज रजिस्टर कर रेस्पोडेंट्स जरिये नोटिस तलब किया गया एवं अपीलाधीन अभिलेख तलब कर अवलोकन किया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2024.10.16 16:24:55 IST
Reason: SelfAttested

4. हमने उभय पक्ष के अधिवक्ता[illegible] बहस सुनी। अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से निवे[illegible] के खसरा नम्बर 263 खातेदारी भूमि में रास्ते हेतु समर्पण [illegible]रने के लिए अपीलांट्स ने पटवारी हल्का बांटा से समर्पण पत्र तैयार करने हेतु कहा जिस पर पटवार

जिला कलक्टर
बाड़मेर

हल्का ने अपीलांट्स के अंगूठा निशान लेकर समर्पण पत्र तैयार किए तथा तहसीलदार गुड़ामालानी के समक्ष प्रस्तुत करने पर आदेश क्रमांक राजस्व / 2012 / 2427 दिनांक 13.07.2012 को समर्पण स्वीकार किया। उक्त समर्पण की पालना में नामान्तरकरण संख्या 46 दिनांक 05.02.2013 तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा सही स्वीकृत किया गया। अपीलकर्तागण की स्वेच्छा से यह समर्पण पेश किया गया था तथा उक्त समर्पण बाबत कोई विवाद नहीं है। पटवार हल्का बांटा ने अपीलांट्स के खेत खसरा नम्बर 177 / 1 मौजा रोली के सेढ़ा पड़ोसी खेत खसरा नंबर 177 के खातेदारान उतरदातागण से मिलावट कर धोखाधड़ी द्वारा पटवारी बांटा ने अपीलांट्स की अन्य भूमि खसरा नंबर 177 / 1 मे से रास्ते के लिए भूमि अपीलांट्स को बिना बतायें समर्पण के कागजात जुलाई 2012 को तैयार करते समय धोखे से अनपढ़ अपीलांट्स के अंगूठे अन्य खाली कागजों पर भी उस समय करवा लिए तथा उन खाली कागजों पर अपीलांट्स के खेत खसरा नंबर 177 / 1 मौजा रोली में से 1.08 भूमि के समर्पण के कागजात तहसीलदार गुड़ामालानी के समक्ष पेश कर दिए जिस पर तहसीलदार गुड़ामालानी ने कार्यालय आदेश क्रमांक राजस्व / 2012 / 4166 दिनांक 07.09.2012 द्वारा समर्पण स्वीकार करने का आदेश पारित कर दिया। अपीलांट्स को जिसका कोई ज्ञान नहीं था ना ही कभी अपीलांट्स ने अपने खेत खसरा नंबर 177 / 1 मौजा रोली में से समर्पण किया था।

5. अधिवक्ता अपीलांट्स की ओर से प्रकट किया कि उक्त समर्पण पत्र का अनपढ़ अपीलांट्स को इतने समय तक कोई ज्ञान नहीं था। अपीलांट्स के साथ धोखाधड़ी हुई है बिना उनके ज्ञान के फर्जी तौर पर आलौच्य समर्पण पत्र तैयार किया गया हैं [illegible] य क्षति हो रही है। अधीनस्थ न्यायालय ने [illegible] पर 11 वर्षो बाद आलौच्य आदेश पारित कर[illegible] है। यहां तक कि खातेदार मोटाराम की मृत्यु दिनांक 26.10.2021 के बाद आलौच्य आदेश विधि विरूद्ध

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2024.10.16 16:24:55 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

रूप से पारित किया गया है तथा धारा 137 लिमिटेशन एक्ट अनुसार किसी आदेश के निष्पादन की अवधि कानूनन 3 वर्ष ही होती है इसलिए 11 वर्षो बाद कथित आलौच्य आदेश कानूनन स्वतः की शून्य होने से निरस्त योग्य है। कानूनन उतरदातागण धारा 251 ए आरटीआई के तहत आवेदन करते तो उन्हें रास्ते की भूमि सुविधा अनुसार दी जाती है। जिससे उसे डीएलसी रेट के अनुसार मुआवजा भी अदा करना पड़ता है परन्तु उतरदातागण के मन में दुर्भावना होने से उन्होने यह समर्पण पत्र का दुरूपयोग कर अपीलांट्स को भारी क्षति पहुंचाई है ताकि उन्हें मुआवजा नहीं देना पडे वह अपीलांट्स को भारी नुकसान हो। दोनों समर्पण पत्र एक ही दिन धोखे से पटवारी बांटा द्वारा तैयार किए जाकर आलौच्य समर्पण पत्र तैयार किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि अपीलांट्स के साथ धोखाधड़ी हुई है। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा पारित आदेश एकतरफा कार्यवाही करते हुए अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित किया गया है जो खारिज योग्य है।

6. अधिवक्ता अपीलांट्स ने यह भी प्रकट किया कि अपीलांट्स अपने खेत खसरा नंबर 177/1 मौजा रोली में सूड़ कर रहे थे तभी उतरदातागण ने दखलंदाजी मूरडा डालने लगे कि यहां रास्ते की भूमि है एवं जबरदस्ती रास्ता बनाने की धमकी दी। इस पर अपीलांट्स को अपने हक हकुक संशयप्रद लगे जिस पर अपीलांट्स द्वारा हलका पटवारी से जमाबंदी एवं अपीलाधीन नामान्तरकरण की नकल दिनांक 11.08.2023 को प्राप्त हुई। इस प्रकार जानकारी होने से अन्दर मयाद उक्त अपील न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत की है। अपील प्रस्तुत करने में हुए सद्भाविक विलम्ब को क्षमा करने हेतु अपील के संलग्न धारा 5 मयाद अधिनियम का प्रार्थना-पत्र मय शपथ-पत्र शामिल कर अपील अन्दर मयाद शुमार करने का भी निवेदन किया है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2024.10.16 16:24:55 IST
Reason: SelfAttested

7. अधिवक्ता रेस्पोडेंट्स की ओर से बताया कि यह मौजा गादेश्वरी के खसरा नम्बर 263 खातेदारी भूमि में रास्ता हेतु समर्पण करने के लिए

जिला कलक्टर
बाड़मेर

अपीलांट्स ने स्वेच्छा से यह समर्पण पेश किया गया था तथा उक्त समर्पण बाबत कोई विवाद नहीं है। मौजा रोली के खेत खसरा नम्बर 177 / 1 अपीलांट्स द्वारा सहमति से प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत कर तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा विधिवत रूप से समर्पण आदेश जारी किया जिसमें उतरदातागण द्वारा किसी प्रकार का कोई दखलअंदाजी नहीं की गई है। वह अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित करने में भी विधिसम्मत समस्त प्रक्रिया का पालन पूर्णतया से किया गया है। इसके उपरांत भी जब तक समर्पण स्वीकृति आदेश जिसकी पालना में अपीलाधीन नामान्तरकरण भरा गया है, को चुनौती नहीं दी जाती है, तब तक हस्तगत नामान्तरकरण के विरूद्ध अपील सुनवाई का कोई औचित्य नहीं हैं। लिहाजा अपीलांट्स की अपील सारहीन होने के साथ ही मयाद के बिन्दु पर भी खारिज फरमाई जावे।

8. हमने अपीलांट्स के अधिवक्ताएवं रेस्पोडेंट्स के अधिवक्ता द्वारा प्रकट तथ्यों पर मनन किया एवं अपीलाधीन नामान्तरकरण का अवलोकन किया, जिससे यह पाया जाता है कि मौजा रोली खसरा नम्बर 177 / 1 रकबा 18–00 बीघा भूमि आदूराम, मोटाराम, भारूराम पुत्र रामाराम जाति कुम्हार सा0 देह खातेदार के नाम संयुक्त खातेदारी में दर्ज थी। उक्त भूमि में से 01–08 बीघा भूमि का समर्पण विलेख दिनांक 03.09.2012 को तहसीलदार गुड़ामालानी के समक्ष प्रस्तुत किया, जिस पर तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा हल्का पटवारी की रिपोर्ट के आधार पर आदेश क्रमांक 4166 दिनांक 07.09.2012 के द्वारा समर्पण स्वीकार कर राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद हेतु निर्देशित किया गया। इस आदेश की पालना मे हल्का पटवारी द्वारा नामान्तरकरण सं. 18 दिनांक 19.04.2023 दायर कर तहसीलदार गुड़ामालानी के समक्ष प्रस्तुत किया [illegible] गुड़ामालानी द्वारा उक्त नामान्तरकरण दिनांक 01.05.2023 [illegible] कर दिया। उक्त नामान्तरकरण स्वीकृति [illegible] यह प्रथम अपील धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम 1956 के तहत इस न्यायालय के समक्ष

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2024.10.16 16:24:55 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)
जिला कलक्टर
बाड़मेर

दिनांक 16.08.2023 को प्रस्तुत की गई है। इसके साथ ही अपील प्रस्तुत करने में हुए विलम्ब को क्षमा करने हेतु धारा 5 मयाद अधिनियम के तहत प्रार्थना–पत्र एवं शपथ–पत्र प्रस्तुत किये गये हैं। अधिवक्ता अपीलांट्स का कथन है कि पटवार हल्का बांटा ने अपीलांट्स के खेत खसरा नम्बर 177 / 1 मौजा रोली के सेढ़ा पड़ोसी खेत खसरा नंबर 177 के खातेदारान उतरदातागण से मिलावट कर धोखाधड़ी द्वारा पटवारी बांटा ने अपीलांट्स की अन्य भूमि खसरा नंबर 177 / 1 मे से रास्ते के लिए भूमि अपीलांट्स को बिना बतायें समर्पण के कागजात जुलाई 2012 को तैयार करते समय धोखे से अनपढ़ अपीलांट्स के अंगूठे अन्य खाली कागजों पर भी उस समय करवा लिए तथा उन खाली कागजों पर अपीलांट्स के खेत खसरा नंबर 177 / 1 मौजा रोली में से 1.08 भूमि के समर्पण के कागजात द्वारा समर्पण स्वीकार करने का आदेश पारित कर दिया। अपीलांट्स को जिसका कोई ज्ञान नहीं था ना ही कभी अपीलांट्स ने अपने खेत खसरा नंबर 177 / 1 मौजा रोली में से समर्पण किया था। अपीलाधीन अभिलेखों समर्पण पत्रावली एवं नामान्तरकरण का अवलोकन करने से पाया जाता हैं कि मौजा रोली के खेत खसरा नम्बर 177 / 1 अपीलांट्स द्वारा सहमति से प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत करना व तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा विधिवत रूप से समर्पण आदेश जारी नहीं किया है। वह अपीलाधीन नामान्तरकरण पारित करने में भी विधिसम्मत समस्त प्रक्रिया का पालन पूर्णतया से किया गया है। तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा जारी समर्पण स्वीकृति आदेश की पत्रावली में प्रस्तुत उपकोषाधिकारी द्वारा जारी स्टाम्प में टिकट, विक्रेता के हस्ताक्षर एवं उसका पूर्ण विवरण नहीं होने से समर्पण–पत्र ही संदिग्ध है। इसके साथ ही जो समर्पण हेतु प्रस्तावित भूमि के नक्शा में अंगूठा निशान पुश्त (पीछे) पर अंकित किये गये है तथा समर्पण आदेश सम्पूर्ण सहमति द्वारा नहीं किया जाना प्रतीत होता है। इसके अलावा उक्त [illegible] 2012 में हुआ है, जिसका नामान्तरकरण 2023 में स्वीकृत किया गया तथा आलौच्य आदेश 11 वर्षो बाद पारित किये जाने से यह नामान्तरकरण जांच का विषय है, जो

Signature Not Verified
Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2024.10.16 16:24:55 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

जिला कलक्टर
बाड़मेर

विधिसम्मत प्रक्रिया द्वारा नहीं किया जाना प्रतीत होता है। इस प्रकार अधीनस्थ न्यायालय तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा इस तथ्य की पूर्ण जांच किये बिना ही नामान्तरकरण सं. 18 पर पारित किया गया अपीलाधीन आदेश दिनांक 01.05.2023 विधिसम्मत नहीं होने से बहाल रखा जाना न्यायोचित नहीं है।

9. अतः उपर्युक्त तथ्यों एवं परिस्थितियों पर विवेचन एवं विश्लेषण के परिणामस्वरूप अपीलांट द्वारा प्रस्तुत यह अपील स्वीकार की जाकर तहसीलदार गुड़ामालानी द्वारा मौजा देवाणी भोमाणी कुम्हारो की ढाणी के नामान्तरकरण सं. 18 पर पारित आदेश दिनांक 01.05.2023 को अपास्त किया जाता हैं। प्रकरण तहसीलदार गुड़ामालानी को पुनः इस निर्देश के साथ प्रतिप्रेषित किया जाता हैं कि प्रकरण में अपीलांट्स की ओर से प्रस्तुत दस्तावेजी साक्ष्यों को अभिलेख पर लेते हुए नोटिस व सुनवाई का समुचित अवसर प्रदान कर समग्र जांच उपरान्त नियमानुसार नामान्तरकरण प्रकरण का निस्तारण करें।

10. निर्णय आज दिनांक 30.09.2024 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

न्यायालय जिला कलक्टर बाड़मेर (राजस्थान)

(टीना डाबी)
जिला कलक्टर, बाड़मेर
जिला कलक्टर
बाड़मेर

Signature Not Verified

Digitally signed by Tina Dabi
Date: 2024.10.16 16:24:55 IST
Reason: SelfAttested